संoसंo-मoनिo IV/लेखा/362/2025-26/....22(आo)....

मत्स्य निदेशालय

झारखण्ड, राँची

प्रेषक,

अमरेन्द्र कुमार,
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, गिरिडीह।
जिला मत्स्य पदाधिकारी, कोडरमा।

मत्स्य/राँची/दिनांक....23.03.2026....

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में मॉग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन-उप शीर्ष-01-मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना (स्थापना व्यय) अंतर्गत कुल मो0 **1,03,600.00** (एक लाख तीन हजार छः सौ) रूपये मात्र के निधि का अतिरिक्त आवंटन।

प्रसंग : कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का आवंटन आदेश सं0 17 आ0 (वि0) दिनांक 07.04.2025 एवं ऑनलाईन आवंटन सं0 54, मत्स्य निदेशालय आवंटन सं0 01(आ0) दिनांके 07.04.2025, आवंटन सं0 09 दिनांक 12.09.2025, आवंटन सं0 16 (आ0) दिनांक 30.12...2025, आवंटन सं0 18 (आ0) दिनांक 21.02.2026 तथा 20(आ0) दिनांक 14.03.2026।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु मॉग संख्या-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन-उप शीर्ष-01-मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना (स्थापना व्यय) अंतर्गत कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का आवंटन आदेश सं0 **17 आ0 (वि0) दिनांक 07.04.2025 एवं ऑनलाईन आवंटन सं0 54** के आलोक में मो0 **1,03,600.00 (एक लाख तीन हजार छः सौ)** रूपये मात्र निम्न विवरणी अनुरुप निधि का अतिरिक्त आवंटन किया जाता है:-

क्र0	स्थापना का नाम	वेतन	व्यवसायिक सेवाएँ	**कुल आवंटन**
	विपत्र कोड	53S24050000101000101	53S24050000101000329	
1	2	3	4	5
1	जि0 म0 पदा0–सह–मु0 कार्य0 पदा0, गिरिडीह	0	3600	**3600**
2	जि0 म0 पदा0, कोडरमा	100000	0	**100000**
	कुल आवंटन	**100000**	**3600**	**103600**

मो0 एक लाख तीन हजार छः सौ रु0 मात्र।

2. इस आवंटन के विरुद्ध वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561/वि0(2) दिनांक 17/04/98, वित्त विभाग के पत्रांक-1800/वि0, दिनांक 15/07/03 में निहित प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जायेगी।

3. (क) वित्त विभाग के पत्रांक 338/बजट/दिनांक 28.03.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटन व्यय की स्वीकृति प्राप्त है।

(ख) झारखण्ड कोषागार संहिता के नियमों का अनुपालन सख्ती से किया जाय।

4. आबंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक अगले माह के 15 तारीख तक टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ ट्रेजरी एम0आई0एस0 से अवश्य मिलान (रिकान्सीलेशन) करा लिया जाए।

5. कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों पर विपत्र कोड एवं मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की मुहर स्पष्ट रुप से अंकित हो, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में हिसाब ठीक से रखा जा सके एवं मिलान करने में दिक्कत न हो। वर्ष 2025-26 के प्रत्येक महिने का नियमित लेखा मिलान कर त्रुटि निराकरण करना सम्बन्धित DDO का दायित्व होगा।

6. असमायोजित अग्रिम, एल0पी0सी0/कार्यालय से हो तो उसका ससमय स्थापित प्रक्रिया के तहत नियमित समायोजन होना चाहिए।

7. आबंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 475 में किये गये निदेश के आलोक में किया जाय। इसके साथ ही कोषागार संहिता/वित्तीय नियमावली/बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय।

8. सामग्री का कय जेम अथवा स्थापित प्रकिया का पालन कर ही किया जाये। पूर्व स्टोर/स्टॉक पंजी का तथा स्टाक का भौतिक सत्यापन अवश्य किया जाय। Dead/Useless सामग्री का निष्पादन स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय।

9. (क) सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मी के दावों का नियमानुसार निष्पादन समयबद्ध हो ताकि न्यायालय/दंण्डात्मक शुल्क नहीं देना हो अन्यथा इसकी वसूली दोषी कर्मी से होगी।

(ख) सभी कार्यरत कर्मियों के सेवापुस्त का सत्यापन कर, अवकाश लेखा/अन्य प्रविष्टि अद्यतन करें तथा उनका हस्ताक्षर भी प्राप्त करें।

10. यात्रा भत्ता का भुगतान वित्त विभाग/प्रभाग के पत्रांक-3336/वि0 दिनांक-17.09.2014 एवं 737/वि0 दिनांक 27.03.2018 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुरुप किया जायेगा। इस पर ज्यादा सावधानी बरती जाय। नियमित रुप से राशि व्यय किया जाय। इसमें किसी भी गड़बड़ी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा स्वीकृति पदाधिकारी दोषी होंगे।

11. सभी अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखना। अंकेक्षण के दौरान प्राप्त अंकेक्षण आपत्तियों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करते हुए उसे Drop कराया जाए, साथ ही साथ प्रासंगिक मद की राशि की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में इस मद के व्यय में यदि कोई अंकेक्षण आपत्ति हो तो उसका निराकरण करा लिया गया है।

अनु0-ऑनलाईन आवंटन

22(अ0) 23/03/2026

विश्वासभाजन

23/03/26

(अमरेन्द्र कुमार)

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची.

सं०सं०-म०नि० IV/लेखा/342/2024-25/ 22 (अ०) **/मत्स्य/रॉची/दिनांक** 23.03.2026

प्रतिलिपिः संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपायुक्त/महालेखाकार, झारखण्ड, रॉची/अवर सचिव, (बजट) कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) झारखण्ड, रॉची/उप मत्स्य निदेशक (सभी), मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/03/26

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची.

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Fishery Divisio

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - IV/362/25-26/7/22 **दिनांक -** 23-Mar-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 53 24050000101000101 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना 00-NA 01 - वेतन एवं भत्ते **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	114622	KDMFSH001 VIJAY KUMAR SINGH DIST.FISH.OFF.KDM. 01 - वेतन	100,000.00 रुपये एक लाख
2	S 53 24050000101000329 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	114621	GRDFSH001 MD. MUJAHID ANSARI DIST.FISHERIES OFFICER GIRIDIH 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	3,600.00 रुपये तीन हजार छः सौ

योग: 103,600.00

क्रमिक योग: रुपये एक लाख तीन हजार छः सौ

(AMARENDRA KUMAR)
DIRECTOR FISHERIES

 10.92.23.5 [redacted]

वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)

मुख्य शीर्ष-2405 - मछली-पालन & 001 - निदेशन तथा प्रशासन & 01 - मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	53S24050000101000101	53S24050000101000329	Total
					वेतन	व्यावसायिक सेवाएँ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Koderma	KDMFSH001	Vijay Kumar Singh	Dist.Fish.Off.Kdm.	₹1,00,000.00 (114622)	₹0.00	₹1,00,000.00
2	Giridih	GRDFSH001	Md. Mujahid Ansari	Dist.Fisheries Officer Giridih	₹0.00	₹3,600.00 (114621)	₹3,600.00

कुल आवंटित राशि :- ₹1,03,600.00 (,d yk[k rhu gtkj N% lkS) रूपये मात्र |

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

(AMARENDRA KUMAR)
DIRECTOR FISHERIES